



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित करने के आरोपी गौरव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 08 माह का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त गौरव पुत्र राजू निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 100/2020 धारा 363/376/328/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गौरव को दोषी पाते हुए 08 माह के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गौरव को धारा 376/328/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghatpolice



baghatpolice



Baghat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 18.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 308/26 धारा 64(1)/123/ 351(2) बीएनएस व 3/4 धर्मपरिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 308/26



धारा 64(1)/123/ 351(2) बीएनएस व 3/4 धर्मपरिवर्तन अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दानिस पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला घोसियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत ।

3-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 18.05.2026

बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अनुज पुत्र मुकेश निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मंगता पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-भंवरपाल पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत
- 4-राजीव पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत
- 5-आकाश पुत्र स्व० भूषण उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-अभिषेक पुत्र स्व० भूषण उम्र करीब 21 वर्ष निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-अक्षय पुत्र स्व० श्री भूषण निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना रमाला पुलिस टीम । (03 वारंटी)

2-थाना दोघट पुलिस टीम । (04 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 18.05.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध चाकू व 01 मोटरसाईकिल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तंमचा .315



बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध चाकू व 01 मोटरसाईकिल बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आदिक पुत्र सलीम निवासी नई बस्ती मुगलपुरा अक्शा मस्जिद के पास कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ।

2. शादाब पुत्र यासीन निवासी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर,
- एक अवैध चाकू ।
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अमर सिंह – थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3.हे0का0 413 पुष्पेन्द्र कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
4. का0 60 रवि कुमार- थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 5.का0 911 श्यामवीर सिंह- थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 6.का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत



दिनांक 18.05.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 326/26 धारा 64(1)/351 बी.एन.एस. व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 326/26 धारा 64(1)/351 बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है,



जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. अश्वनी पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री राम कुमार थाना बडौत, बागपत

2-है०का० 678 योगेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है०का० 735 संदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

4-रि०का० 168 अखिलेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 18.05.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 93/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गई 35 किलोग्राम तार व घटना में प्रयुक्त 01 मो०सा० बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही

दिनांक 18.05.2026 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा बिजली का तार चोरी कर ले जाते समय मौके से अभियुक्त अभिषेक पुत्र मलखान निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष को पकडा गया जिसको वादी द्वारा पीआरवी 8347 पुलिस की मदद से थाना रमाला पर लाया गया। थाना रमाला पुलिस द्वारा



अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी किया 35 किलोग्राम तार व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल रजि न० UP17V0550 बरामद किया गया । तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु०अ०सं० 93/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र मलखान निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 35 कि०ग्रा० तार (चोरी किया)
- मो०सा० स्प्लेण्डर रजि न० UP17V0550

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-का0 1061 अनुराग यादव थाना रमाला जनपद बागपत

2-रि0का0 352 राजकांत थाना रमाला जनपद बागपत

